न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2021/259

1. मालाराम उम्र 64 वर्ष पुत्र श्री भंवरलाल, जाति मीना,
2. कमली उम्र 60 वर्ष पत्नी श्री मालाराम, जाति मीना,
3. फतेहसिंह उम्र 57 वर्ष पुत्र श्री भंवरलाल, जाति मीना समस्त निवासीगण सिंचाई विभाग के पास, आर.टी.ओ. रोड़, राधाकिशनपुरा, सीकर, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. सचिव नगर सुधार न्यास सीकर, राजस्थान।
2. लालचन्द पुत्र श्री डालूराम मीना, जाति मीना, निवासी दांतरू, तहसील फतेहपुर जिला सीकर, राजस्थान।
3. उप पंजीयक, सीकर राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री नवरतन सोनी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री संजय शर्मा एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
3. श्री रमेश चौधरी एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 04.04.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 90ए के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण कस्बा सीकर में आर.टी.ओ. रोड़ सिंचाई विभाग के पास राधाकिशनपुरा सीकर के निवासी है तथा अपीलार्थीगण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है जो अनुसूचित जनजाति के समुदाय से ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दीगर भू–माफिया गिरोह का व्यक्ति है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 सरकारी अधिकारी है। उन्होने आगे कथन किया है कि कस्बा सीकर में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 1050 रकबा 0.7200 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1048 रकबा 0.5200 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 1052 रकबा 2.8200 हैक्टयर भूमि है, जो अपीलार्थीगण की पुश्तैनी अविभाजित ही चली आ रही है एवं उक्त भूमि कस्बा सीकर में अवस्थित होने से नगर पालिका की सीमा में अवस्थित होने से इस भूमि का संपरिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार नगर परिषद सीकर का ही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा दिनांक 15.02.2020 को जरिये नोटेरी 500/–रूपये की स्टाम्प पर मुख्त्यारनामा आम भूमि की सार–संभाल करने एवं विधुत कनेक्शन करवाने

संभागीय आयुक्त
जयपुर

बाबत अपीलार्थीगण को झांसा देकर टाईप करवा लिया परन्तु उक्त मुख्त्यारनामें में भूमि को विक्रय रहन करने तथा सभी अधिकार जो खातेदारों को प्राप्त है, प्राप्त करने के लिऐ हस्ताक्षर करवाये परन्तु अपीलार्थीगण द्वारा उक्त मुख्त्यारनामे को पढ़कर देखा तब दंग रह गये और रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को कहा कि यह मूल मुख्त्यारनामा हमें दे हो हम इसको निरस्त कर दंगे, इस पर दिनांक 28.02.2020 का मूल मुख्त्यारनामा निरस्त किया गया तथा मुख्त्यारनामे पर हस्ताक्षर अपीलार्थीगण ने काटकर मूल मुख्त्यारनामा वापिस लौटाने की बात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को कही परन्तु रेस्पोडेन्ट सख्या 2 के साथ उसका भाई प्रहलादराय मीना जो नगर सुधार न्यास सीकर में पदस्थापित है उसने अपीलार्थीगण को कहा की मूल मुख्त्यारनामा स्टाम्प पर टाईप है आपके हस्ताक्षरित है, आपको लौटा दिया जावेगा परन्तु उक्त मूल मुख्त्यारनामा को नही लौटाया गया और मांगने पर कहा कि अपने काटकर हस्ताक्षर मूल की फोटो प्रति करवाली थी परन्तु मूल कही पर खो गया है इसके पश्चात् भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा हम अपीलार्थीगण की भूमि को अवैध रूप से विक्रय एवं खुर्द–बुर्द अन्य दीकर व्यक्ति का निर्माण करवाया जा रहा है, हम अपीलार्थीगण के हिस्से को गायब करने की कुचेष्टा से रेस्पोडेन्ट के द्वारा अवैध विक्रय व रहन करवाया जा रहा है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आपस में सांठ–गांठ कर हम अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1050, 1052, 1048 को आपस में मिलकर बाला–बाला ही दिनांक 14.07.2021 को आदेश संख्या 3194–3403 के द्वारा अवैध रूप से संपरिवर्तन कर भूमि को तहसीलदार सीकर के कार्यालय में खाता अपने नाम स्वीकार करवाये जाने के लिये डिस्पेच किया गया है जो न्याय संगत नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीगण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है तथा गरीब तबके के व्यक्ति है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ अन्य भू माफिया जो काफी समर्थशाली एवं धनवान है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का भाई प्रहलादराय मीना जो आपस में मिलकर अपीलार्थीगण की भूमि को हड़प करना चाहते है, भूमि पर अवैध रूप से निमार्ण कर दीगर व्यक्ति को कूटरचित दस्तावेज मुख्त्यारनामा की फोटो प्रति को कलक्टर पंजीयक मुद्रांक विभाग से स्टाम्प डयूटी अदा करके उक्त दस्तावेज से विक्रय पत्र अपीलार्थीगण की भूमि हिस्से का अवैध रूप से उप पंजीयक कार्यालय सीकर में सांठ–गांठ कर बनाया जा रहा है। उक्त भूमि पर दिनांक 03.08.2021 को नगर परिषद सीकर के द्वारा कृषि भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा बाला–बाला ही अवैध निमार्ण कर रखा था जिसको नगर परिषद सीकर के द्वारा ध्वस्त किया गया इसके पश्चात् रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 आपस में सांठ–गांठ करके भूमि का बाले–बाले ही संपरिवर्तन आदेश दिनांक 14.07.2021 पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 23.07.2021 को पुलिस थाना उधोग नगर सीकर में अपीलार्थी वं इसके परिवारिक सदस्यों के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0445 दर्ज करवायी गयी थी जिस पर

कार्यवाही विचाराधीन है परन्तु फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा अपीलार्थीगण की भूमि को हड़प करने की नीयत से कूटरचित मुख्त्यारनामा आम से भूमि को दीगर विक्रय किया जा रहा है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2021 अपीलार्थीगण को बिना किसी सहमति के व बिना किसी सूचना के पारित किया गया है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश में भी अपीलार्थीगण की किसी प्रकार की सहमति का हवाला भी नही है और न ही अपीलार्थीगण का किसी प्रकार का शपथ पत्र है जबकि कानूनन संपरिवर्तन करने पर खातेदार की सहमति ली जानी आवश्यक है परन्तु उक्त भूमि संपरिवर्तन बाबत विज्ञापन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कार्यालय द्वारा अपीलार्थीगण को धोखा देने की नीयत से राष्ट्रदूत अखबार चुरू में विज्ञापन निकलवाया गया ताकि उक्त विज्ञापन को चुरू के लोग ही पढ सकें जिसमें उनका कोई हित निहित नही था इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कार्यालय में कोई भी आपत्ति नही लेकर आया तथा जब अपीलार्थीगण के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कार्यालय में आपत्ति पेश की गई परन्तु उक्त आपत्ति को दरकिनार करके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा भूमि का संपरिवर्तन आदेश किया गया है जो न्यायहित में नही है। इस कारण भी उक्त अपीलाधीन आदेश खारिज योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2021 भूमि खसरा नम्बर 1048 रकबा 0.52 हैक्टयर बारानी द्वितीय एवं खसरा नम्बर 1050 रकबा 0.72 हैक्टयर बारानी द्वितीय एवं खसरा नम्बर 1052 रकबा 2.8200 हैक्टयर के सम्बन्ध में पारित आदेश को शून्य एवं अवैध घोषित किया जावें तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पाबन्द किया जावे कि उक्त आदेश के पक्ष में कोई भी क्रियान्विति नही की जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी का अकृषि कार्य में उपयोग पाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी के खातेदारान को के नोटिस जरिये समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये गये है एवं प्राप्त आपत्ति के निस्तारण पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा उन्हे मुख्त्यारआम नियुक्त किया गया है तथा भूमि पर प्लाटिंग की जाकर कॉलोनी विकसित की हुई है जिससे भूमि अकृषि कार्य में उपयोग में ली जा रही है जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2021 विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये

विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न विभिन्न व्यक्तियों द्वारा वादग्रस्त आराजी में क्रय किये गये भूखण्डों के रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी पर कॉलोनी विकसित की गई है तथा भूमि का कृषि कार्य से अकृषि कार्य में उपयोग होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारान के नोटिस दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये गये है तत्पश्चात् अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी नगर सुधार न्यास सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2021 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।